# न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, हमीरगढ़
## जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– झंवर लाल , आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 164/2025 (56/2024) राजस्व प्रार्थनापत्र

1. शंकर पुत्र श्री छोगा गिरी जाति गुसाई आयु वयस्क निवासी– औज्याड़ा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

---- प्रार्थी

बनाम

1. ग्यारसी देवी पत्नी श्री भैरू नाई आयु वयस्क निवासी– औज्याड़ा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. दुर्गा पुत्री श्री भैरू नाई आयु वयस्क निवासी– औज्याड़ा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)

---- विपक्षीगण

**प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा– 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

उपस्थित :–

1. श्री कैलाश चन्द्र आचार्य ––अधिवक्ता प्रार्थी
2. श्री पृथ्वीराज चौधरी –– विपक्षी संख्या 01 से 02
3. पेरोकार सरकार ––विपक्षी संख्या 03

:: निर्णय :: दिनांक– 9.10.2025

प्रार्थी के द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व एक आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा– 251–ए राज0 टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत कर सरहद औज्याड़ा पटवार हल्का औज्याड़ा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र हमीरगढ़ तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0) मे आराजी नम्बर 113, 114, 115, 116, 118 स्थित है। जो कि प्रार्थी के नाम पर खातेदारी हक अधिकार से दर्ज होकर प्रार्थी काबिज होकर उसका उपयोग उपभोग चला आ रहा है। प्रार्थी की उक्त आराजी मे आने जाने का एकमात्र रास्ता जो कि बरडौद से सगतपुरिया ग्रेवल रोड़ से होकर प्रार्थी अपनी आराजी नम्बर 2614/120 से होकर विपक्षी संख्या 01 एवं 02 की आराजी नम्बर 119/2 के बीचो बीच विद्यमान रास्ता जो करीब 20 फीट चौड़ा होकर विपक्षी संख्या 01 द्वारा उक्त रास्ते के एक तरफ पत्थर का कोट व एक तरफ बिजली के 2 पोल लगे हुए है, जिसके बीच से होकर रास्ता विद्यमान है, उक्त रास्ते को दर्ज कराया जाने का निवेदन किया। जिसका नियमानुसार राशि अदा करने को प्रार्थी तैयार है।

प्रार्थी का आवेदन प्रस्तुत होने पर पंजीबद्व किया गया व विपक्षीगण को सम्मन नोटिस तामिल होने के पश्चात विपक्षी संख्या 01 एवं 02 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया व मामले मे मौका रिपोर्ट तलब की गयी, जिस पर मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थनापत्र दिनांक 13/05/2025 को स्वीकार किया जाकर "वाके मौजा औज्याड़ा पटवार मण्डल क्षेत्र औज्याड़ा

तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा मे अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के खातेदारी खसरा संख्या 119/2 रकबा 0.2023 हैक्टयर मे से रकबा 0.0292 हैक्टयर (26.5×5=132 ,32×5=160 कुल 292 वर्गमीटर) भूमि मुताबिक प्रस्ताव नजरी नक्शा (सार्वजनिक उपयोग हेतु) नवीन मार्ग कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड मे अमल दरामद किया जाने व विपक्षी संख्या 01 एंव 02 को मालियत राशि की दुगुना राशि दिलायी जाने का आदेश दिया गया।

विपक्षी संख्या 01 एवं 02 द्वारा उक्त आदेश के विरूद्व भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी महोदय, भीलवाड़ा के यहां अपील पेश की, जिसके प्रकरण संख्या–आरटीए/195/2025 ग्यारसी देवी व अन्य बनाम शंकर एवं अन्य कायम हुए, जिसमे दोनो पक्ष जमीन के बदले जमीन दिलाये जाने हेतु सहमत होने से अपीलीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया कि "अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तावित रास्ते को यथावत रखा जाता है, लेकिन डी.एल.सी. के बिन्दु पर पुनः निर्धारण हेतु जिसमे दोनो पक्ष इस आशय से सहमत है कि जमीन के बदले जमीन दे दी जाये। उक्त बिन्दु पर पुनः दोनो पक्षो को सुनकर निर्धारण करे। डी.एल.सी./जमीन के बदले जमीन का निर्धारण कर संशोधित विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

अपीलीय न्यायालय के निर्णय की पालना मे उक्त प्रकरण को पुनः दर्ज रजिस्टर किया गया व दोनो पक्ष न्यायालय मे उपस्थित हुए। दोनो पक्षो द्वारा पूर्व मे पारित निर्णय को यथावत रखते हुए डी.एल.सी. राशि विपक्षी संख्या 01 एवं 02 लेने के बजाय प्रस्तावित रास्ते की भूमि के रकबे के बदले प्रार्थी अपनी सटमा आराजी नम्बर 118 मे से भूमि विपक्षी संख्या 01 एवं 02 को देने हेतु सहमति दी गयी। इस प्रकार भूमि के बदले भूमि के आधार पर सहमति से उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाना उचित पाता हूँ।

:: आदेश ::

प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर वाके मौजा औज्याड़ा पटवार मण्डल क्षेत्र औज्याड़ा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा मे अप्रार्थी संख्या 01 व 02 के खातेदारी खसरा संख्या 119/2 रकबा 0.2023 हैक्टयर मे से रकबा 0.0292 हैक्टयर (26.5×5=132 ,32×5=160 कुल 292 वर्गमीटर) भूमि मुताबिक प्रस्ताव नजरी नक्शा (सार्वजनिक उपयोग हेतु) नवीन मार्ग कायम किया जाकर तद्नुसार रेकार्ड मे अमल दरामद किया व उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि रकबा 0.0292 हैक्टयर के बदले प्रार्थी की सरहद औज्याड़ा पटवार हल्का औज्याड़ा तहसील हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 118 रकबा 0.6575 हैक्टयर मे से रकबा 0.0292 हैक्टयर भूमि प्रार्थी के खाते से कम की जाकर विपक्षी संख्या 01 एवं 02 के नाम पर दर्ज की जावे व विपक्षी संख्या 01 एवं 02 की आराजी नम्बर 119/2 के सटमा तरमीम की जावे।

यह आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(झंवर लाल, RAS)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज0)